

11.5.17

पं. सं. ५५

आज पणवली केम्प कोर्ट लोक  
अदालत ब्याग आपके द्वार - 2017  
अर्थ सेवा केन्द्र गुरुम पी-वायन  
कपवास पर पेश हुई। वारीगन ने  
दिनांक 16-10-15 को 6 रिजिस्ट्रेशन  
पिक्रम पर रेसोर्डिंग्स जॉ 3 ए 11  
से उनके शोहदारी व कलजे वायन  
की आशजी ब्याग संख्या 157 200 70  
889 शफाबा 1.22 हं. लिस्सा 9/10 वीके  
गुरुम कपवास तहसील उनियास

P.T.O.

उप खण्ड अधिकारी  
उनियास

FORM III

फॉर्म अहकाम

(विधायक 20)

न्यायालय अधिकारी उमियारा (दौक)

डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंगलूर २७०१००

किस्म मुकदमा.....नम्बर २ सन्...2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुये
11-1-17	<p>जिला कोर्ट से क्रम की सी। जिसका नामांकन पत्रकारी हुका क्रमवास ने नामांकन संख्या 682 दिनांक 5-1-16 द्वारा मया गया है। संघर्ष गुप्त पंचायत क्रमवास ने उक्त नामांकन अर्पण करने से पट का उपयोग करते हुये अग्रिम कर दिया। उक्त पट गृह भूमि पर अर्हरे अतिरिक्त स्वामी करिबज कायत चला आ रहा है।</p> <p>वारीगण उन्मु। उत्तिवारीगण को Ho 1,2 उपर उत्तिवारीगण उ.सं. 11 अ.30। स्वर्ष गुप्त पंचायत क्रमवास ने जवाब में कहा कि वारीगण द्वारा अर्पण क्रम से गृह भूमि अर्पण कर रखा है। जिसमें एक बनाया जाना है। जो जमीनपयोगी है। अतः प्रकरण स्वामी योग्य है। तकसीखदार उमियारा ने जवाब में कहा कि वारीगण द्वारा स्वामी भूमि कर कर के अर्पण किया गया है। वार पंजीपन का नामांकन 682 उर्ग हुआ है। जिसे बिना किसी कारण के गुप्त पंचायत द्वारा निरस्त कर दिया है जो उचित नहीं है।</p> <p>परावली में उपलब्ध दस्तावेज व जवाब का अमलौकन किया गया। उक्त विवेचना अनुसार परिणामस्वरूप वारीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कि जाती है। अधीनस्थ न्यायालय गुप्त पंचायत क्रमवास द्वारा प्रति मिठिय 5-1-16 को अपात किपे जाते हैं। तकसीखदार उमियारा को इस निर्देश के साथ उत्तिवारीगण किया जाता है कि वारीगण व उत्तिवारीगण को सुन कर विधि सम्मत मिठिय पारित करें।</p> <p>परावली फॉर्म नम्बर 10 682 से जारी किया जावे।</p>	

उप खंड अधिकारी  
उमियारा